महत्वपूर्ण

संख्या- 49 /2022/2949/छिहत्तर-1-2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ:दिनाँक 10 सितम्बर, 2022

विषय- सीवर लाइन / पेयजल पाइप लाइन डालने हेतु काटी गई सडकों की पुर्नस्थापना/ मरम्मत के सम्बन्ध में ।

महोदय,

अवगत कराना है कि नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-5033/नौ-5-2013/273 सा/2011 दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 एवं सपठित शासनादेश संख्या-777/नौ-5-2016/90 सा/2015 दिनांक 28 मार्च, 2016 के माध्यम से नगरीय क्षेत्र में सीवर लाइन/ पेयजल पाइप लाइन डालने हेतु काटी गई सडकों की पुर्नस्थापना/ मरम्मत किये जाने हेतु विश्व बैंक पोषित योजनाओं / एन.जी.आर.बी.ए./ केन्द्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत सीवर लाइन / पेयजल पाइप लाइन डालने के लिए काटी गई सडकों की पुर्नस्थापना / मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में विश्व बैंक / भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2- इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि प्रदेश में त्वरित गति से जल जीवन मिशन कार्यक्रम/ नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल/ सीवर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पेयजल/सीवर योजनाओं हेतु लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली सडकों की रोड कटिंग हेतु अनापत्ति प्राप्त किये जाने में कठिनाई हो रही है। ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं ई.पी.सी. मोड पर क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें सडकों की मरम्मत का दायित्व सम्बन्धित फर्म को दिया गया है। फर्म के साथ किये गये अनुबन्ध में बैंक गारंटी एवं लीज चार्ज का प्राविधान नहीं है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल/ सीवर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग की काटी गई सडकों की पुनर्स्थापना/ मरम्मत का कार्य नगर विकास विभाग की भाति नमामि गंगे

तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा विश्व बैंक पोषित योजनाओं / एन.जी.आर.बी.ए./ केन्द्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत सीवर लाइन / पेयजल पाइप लाइन डालने के लिए काटी गई सडकों की पुर्नस्थापना / मरम्मत कराये जाने हेतु विश्व बैंक / भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के अधीन अग्रेतर कार्यवाही की जाए :-

I. लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली ग्रामीण क्षेत्रों की सडकों के अन्तर्गत पाइप पेयजल लाइन/सीवर लाइन डालने हेतु काटी गई सडकों का पूर्व निर्मित सड़क की स्थिति तक पुनर्स्थापना / मरम्मत का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा सम्बन्धित वेंडर से कराया जायेगा। पुनर्निर्मित/मरम्मत की गई सडक के रखरखाव का दायित्व दो वर्ष तक संबंधित फर्म का होगा।

II. काटी गई सडकों की पुनर्स्थापना हेतु प्रस्ताव / आगणन उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा तैयार कराया जायेगा। उक्त प्रस्ताव / आगणन के उपलब्ध / सहमत होने के उपरान्त लोक निर्माण विभाग द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

III. उपर्युक्तानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं/ सीवर लाइन हेतु काटी गई सडकों की मरम्मत / पुनर्निमाण हेतु लोक निर्माण विभाग को लीज चार्ज एवं बैंक गारंटी दिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

IV. सडकों की मरम्मत / पुनर्निमाण का कार्य गुणवत्ता पूर्वक एवं समयवद्ध रूप से किये जाने एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने का पर्यवेक्षण संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

V. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा सम्बन्धित फर्मो के माध्यम से काटी गई सडकों को पूर्व की स्थिति में लाने के लिये तत्काल पुनर्निमाण / मरम्मत कराने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी, जिससे आम जन-जीवन प्रभावित न हो।

भवदीय,

Signed by मनोज कुमार सिंह
Date: 10-09-2022 14:10:37
Reason: Approved

(मनोज कुमार सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त

संख्या: 49 /2022/2949(1) /छिहत्तर-1-2022, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन।

3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. अपर परियोजना निदेशक,राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
उप सचिव